वैज्ञानिक औदयोगिक अनुसंधान COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL 2 रफी मार्ग, नई Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi - 110001



सा॰/No.: 5-1(49)/2008-PD

दिनांक/Dated: 05.04.2021

प्रेषक / From: संयुक्त सचिव (प्रशासन)

Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To:

सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान

The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे भारत सरकार द्वारा जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचना को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है:

I am directed to forward herewith the following Notification issued by the Government of India for your information, guidance and compliance:

क्रम सं.	अधिसूचना सं./	विषय/
SI. No.	Notification No.	Subject
1.	भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की अधिसूचना सं॰ सा.का.नि 673(अ) दिनांक 19.09.2019  Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Pension and Pensioners' Welfare Notification No. G.S.R. 673(E) Dated 19.09.2019	Central Civil Services (Pension) Second Amendment Rules, 2019 (Sub-rule (3) of rule 54)

भवदीय/Yours faithfully

(बी. के. सिंह / B. K. Singh)

वरिष्ठ उप सचिव (नीति प्रभाग) /Sr. DS (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above प्रतिलिपि/Copy to:

- 1) आई.टी. प्रभाग प्रमुख वेबसाइट और पॉलिसी रिपॉजिटरी पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ/ Head, IT Division with the request to make this circular letter available on the website & Policy Repository.
- 2) कार्यालय प्रति/Office copy.



असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

#### प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 550]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2019/भाद 29, 1941

No. 550]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2019/BHADRA 29, 1941

# कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

## (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 673(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक तथा अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) दूसरा संशोधन नियम, 2019 है।
  - (2) ये 1 अक्टूबर, 2019 से प्रवृत्त होंगे।
- 2. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में,-
  - (i) नियम 54 में,
    - (क) उप-नियम (3) में, -
      - (क) खंड (क) में, उप-खंड (i) में "सात वर्ष से अन्यून की लगातार सेवा कर चुकने के पश्चात्" वाक्यांश का लोप कर दिया जाएगा;
      - (ख) खंड (ख) में, उप-खंड (i) में "सात वर्ष से अन्यून की लगातार सेवा कर चुकने के पश्चात्" वाक्यांश का लोप कर दिया जाएगा;
    - (ख) उप-नियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात: –

"(3क) जहां किसी सरकारी सेवक की मृत्यु सात वर्षों की लगातार सेवा पूरी किए बगैर 1 अक्टूबर, 2019 से पूर्व दस वर्षों के भीतर हो गई हो, वहां उनका परिवार कुटुंब पेंशन की स्वीकृति की अन्य शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन, दिनांक 1 अक्टूबर, 2019 से उप-नियम (3) के अनुसार बढ़ी हुई दर पर कुटुंब पेंशन के लिए पात्र होगा।"

- (ii) नियम 79 में, खंड (क) और (ख) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-
  - "(क) कुटुंब पेंशन 1964, के प्रयोजनार्थ, यदि मृतक सरकारी सेवक का परिवार नियम 54 के उप-नियम (2) के अनुसार कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हो गया हो तो कुटुंब पेंशन की राशि और उस अवधि जिसके लिए यह देय है, का निर्धारण सरकारी सेवक की मृत्यु की तारीख की सूचना की प्राप्ति की तारीख से एक माह के भीतर नियम 54 के उप-नियम (3) के अनुसार किया जाएगा।
  - (ख) मृत्यु उपदान के प्रयोजनार्थ,-
    - (i) यदि मृतक सरकारी सेवक द्वारा प्रदत्त समस्त सेवा सत्यापित और स्वीकृत किए जाने के लायक नहीं होगी तो मृत्यु उपदान की राशि का निर्धारण अर्हक सेवा की अविध जिसे सरकारी सेवक की मृत्यु की तारीख से ठीक पूर्व सत्यापित और स्वीकृत किया जाता है, के आधार पर नियम 50 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अनुसार अस्थायी रूप से किया जाएगा और मृत्यु उपदान की इस प्रकार निर्धारित राशि का प्राधिकार लाभार्थियों को सरकारी सेवक की मृत्यु की तारीख की सूचना की प्राप्ति की तारीख से एक माह के भीतर दिया जाएगा।
    - (ii) मृत्यु उपदान की अंतिम राशि का निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अनंतिम मृत्यु उपदान के भुगतान के लिए प्राधिकार जारी किए जाने की तारीख से छह माह की अविध के भीतर उनके द्वारा सेवा की समस्त अविध की स्वीकृति और सत्यापन किए जाने पर किया जाएगा और मृत्यु उपदान की अंतिम राशि के निर्धारण के परिणामस्वरूप देय होने वाली बकाया राशि, यदि कोई हो, के लिए लाभार्थियों को तत्पश्चा्त् प्राधिकृत कर दिया जाएगा।"
- (iii) प्ररूप 18 के लिए, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

**"**प्ररूप 18

[नियम 78(1), 80(1), 80(3), 80 (5), 80-ख (1) और 80-ख (5) देखें]

जब किसी सरकारी सेवक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो कुटुंब पेंशन और

मृत्यु उपदान का निर्घारण और प्राधिकार

भाग-।

खण्ड ।

#### 1. मृतक का ब्यौराः

(क) नाम		
(ख) माता/पिता का नाम	(ग) जन्म	
	तिथि	
(घ) मृत्यु की तारीख	(ड.) धर्म	
2. मृत्यु के समय धारित पद:		
(क) कार्यालय का नाम		
(ख) मूल रूप से धारित पद	(ग) स्थानापन्न	
	पद	
(घ) वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	(ड.) मूल वेतन	

(च) यदि अंतिम पद सरकार के बाहर बाह्य सेव	ा शर्तों पर धारित किय	ा गया था-		
(छ) मूल विभाग में धारित पद का वेतन स्तर		(ज) मूल	वेतन	
(झ) सैन्य सेवा की कुल अवधि, यदि कोई हो, वि	जेसके लिए पेंशन और/य	ग उपदान की संस्वीकृति की गई		
(ञ) सैन्य सेवा के लिए प्राप्त कोई पेंशन/उपदान राशि		(ट) सैन्य सेवा के लिए प्राप्त पेंशन/उपदान की प्रकृति		
3. सेवा की शुरूआत की तारीख		4. सेवा की समाप्ति की तारीख		

# 5. स्वायत्त निकाय/राज्य सरकार में सेवा, यदि कोई हो,

# सेवा का ब्यौरा:

(क) संगठन का नाम	(ख) धारित	(ग) सेवा की अवधि			
	पद	से	तक		कुल अवधि
(घ) क्या उपयुक्त सेवा की सरकार में उपदान के लिए गण	ाना की जानी है			0 हा	o नहीं
(ड.) क्या स्वायत्त संगठन ने केंद्र सरकार के प्रति अपनी पे	शन देयता का नि	र्वहन किया है		o हां	o नहीं
(च) पिछली सिविल सेवा के लिए प्राप्त पेंशन/उपदान की राशि, यदि कोई हो			विल सेवा के लिए प्रा गे प्रकृति, यदि कोई ह		

# 6. मृत्यु उपदान के लिए अईक सेवा:

न किया गया है [निय	म 59 (1)(ख)(ii) वे	क तहत]
से	तक	दिनों की संख्या
वा की कुल अवधि		
से	तक	दिनों की संख्या
	-	
	से	वा की कुल अवधि

										3EC. 3(1)]
(ड.) संप के रूप मे	ग्न्न छह मासिक अवधिय में माना जाना है (नियम	ों के अ 49) ———	नुसार अभिव्यव	म्त अर्हक रे ————	नेवा (तीन मा	ह औ	र उससे अधिव	की अवधि के	ो संपन्न छह मार्गि	सेक अवधि
	उपदान के लिए संगणन				8. 7	मृत्यु	उपदान की रा	शि		
	उपदान से वसूली योग्य									
(क) सर	कारी आवास के अधिग्रह	ण के रि	नेए लाइसेंस शु	ल्क [नियम	80-ग देखें]					7.7
(ख) संप	दा निदेशालय द्वारा यथ	निर्दिष	ट रोकी जाने व	ाली धनरा	शि [नियम 80	0-ग	(i) (v) देखें]			
(ग) निय	म 80-ग (2) में उल्लिखि	वत देय	राशि					2 1		
(घ) मृत्यु	<u>।</u> उपदान के रूप में संदेय	निवल	राशि							
10. नार्	मेत व्यक्ति (व्यक्तियों), ि	जेसे मृत	यु उपदान संदेर	य है, का वि	वेदण:					
क्र.सं	क्र. सं (क) नाम (ख) जन्म तिथि (ग) मृत्यु उपदान (दिन/माह/वर्ष)				उपदान में	- 1	(घ) मृतक सर से संबंध	कारी सेवक	(ड.) प	ाता
1.					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
2.										
3.										
11. अधि ब्योरा	भेभावक/नामित व्यक्ति ज	ो अल्प	वयस्क/मानसि	करूप से व	प्रक्षम बच्चों वे	के हो	ने की स्थिति मे	र्ग मृत्यु उपदान	का भुगतान प्राप	त करेंगे, का
क्र. सं	(क) अल्पवयस्क/मानस् रूप से अक्षम बच्चे का		(ख) अभिभाव	वक का	(ग) मृतक स संबंध	प़रक	ारी सेवक से	(घ) अभि	भावक का पता	_
	रूप त जिल्लम बच्च फा	गाम	नाम		सवध					
1.										,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2.										
3.										
12. कुटुंब	। पेंशन के भुगतान का ब	गौरा								
	कुटुंब	पेंशन व	की दर				। पेंशन की	वह अवधि	जिसके लिए यह	संदेय है
	राशि से तक कुल अवधि									
(क) बढ़ी	हुई दर [नियम 54(3)]									
(ख) साध	ारण दर [नियम 54(2) <u>]</u>								1.	
(ग) नियम	न 54 (2क) के अतंर्गत पु	राने परि	रेवार पेंशनभो	गी, यदि कं	ोई हो,					
को आज	की तारीख के अनुसार अ	तिरिक्त	न कुटुंब पेंशन	7						

13. व्य	क्ति जिन्हें कुटुंब पेंशन	संदेय है						
(क) नाम	म		(ख) मृतक	सरकारी से	 वक से संबंध			
(ग) डाव	म् म पता							
फ्लैट/हा नाम	उस नं/भवन का			गल	गि/मोहल्ला			
ग्राम औ	र डाकघर/ब्लॉक			नग	र और जिला			
राज्य				पिन	न कोड			
टेलीफोन	नं./मोबाइल			ईमे	ल-आई डी			
14. अधि	मेभावक जो अल्पवयस	क/मानसिक	रूप से अक्षम बच्चों	के होने की	स्थिति में कुटुंब पेंशन	ना भुगत	तान प्राप्त करेंगे,	का ब्योरा
क्र. सं	(क) अल्पवयस्क/मान रूप से अक्षम बच्चे व		(ख) अभिभावक का	नाम	(ग) मृतक सरकारी संबंध	सेवक से	(घ) अभिभावव	5 का पता
1.				_				
2.								
3.					10 100			
लेखा शी	र्ष जिसमें उपदान और	कुटुंब पेंशन	विकलनीय है।					
स्थान:								
दिनांक:						(कार	र्गालय अध्यक्ष के :	हस्ताक्षर)
				भाग II				
	कार्यो				र आहरित एवं संवि र उपदान का ब्यौरा		केए जाने	
भनंतिम क	 हुटुंब पेंशन		नारा जनातम कुटु		र उपदान का ब्यारा			יום יים
	 ान [खण्ड I की मद 9 (	 (घ) में उल्लि	ाखित राशि।					ज्ञामगार
		. ,		, , , , , ,				••••••

6 THE GAZETTE OF I	INDIA: EXTRAORDINARY [PART II—Sec. 3(i)]
स्थान:	(कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर)
	भाग II
ŧ	लेखा मुखांकन
	खण्ड I
मृत्यु उपदान के लिए स्वीकृत अर्हक सेवा की कुल अवधि	
कुटुंब पेंशन के लिए स्वीकृत निरंतर सेवा की कुल अवधि	
सरकारी बकायों का समयोजन करने के बाद मृत्यु उपदान की निवल राशि	
कुटुंब पेंशन की राशि (जो भी लागू हो)	
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 व	के अंतर्गत कुटुंब पेंशन
बढ़ी हुई दर पर [नियम 54(3)]	
साधारण दर पर [नियम 54(2)]	
नियम 54 (2-क) के अतंर्गत पुराने परिवार पेंशनभोगी, यदि को अतिरिक्त कुटुंब पेंशन	ोई हो, को आज की तारीख के अनुसार
वह तारीख जिससे कुटुंब पेंशन स्वीकार्य है	
लेखा शीर्ष जिसमें मृत्यु उपदान और कुटुंब पेंशन विकलनीय है	
	खण्ड II
मृतक सरकारी सेवक का ब्यौरा	4.2 H
नाम	मृत्यु की तारीख
प्राधिकृत कुटुंब पेंशन की राशि	प्राधिकृत उपदान की राशि
कुटुंब पेंशन शुरू होने की तारीख	उपदान में वसूलीयोग्य राशि
'बेबाकी प्रमाण-पत्र' प्राप्त होने तक रोकी गई उपदान राशि	
स्थान:	
दिनांक:	(लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर)

[फा. सं. 1/23/2018-पी एंड पी डब्ल्यू (ई)] संजीव नारायण माथुर, संयुक्त सचिव

#### स्पष्टीकरण ज्ञापन

नियम 54 के उप-नियम (3क) में अन्य बातों के साथ-साथ किसी ऐसे सरकारी सेवक के परिवार को कुटुंब पेंशन के भुगतान का प्रावधान है जिनकी मृत्यु सात वर्षों की लगातार सेवा पूरी किए बगैर 1 अक्टूबर, 2019 से पूर्व 10 वर्षों के भीतर हुई। प्रमाणित किया जाता है कि संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव दिए जाने से कोई भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

टिप्पण: मूल नियम दिनांक 1 अप्रैल, 1972 की अधिसूचना संख्या का.आ.934 के तहत भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किए गए थे। जुलाई, 1988 तक संशोधित नियमों का चौथा संस्करण वर्ष 1988 में प्रकाशित किया गया था। तत्पश्चात् उक्त नियमों को निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया था. अर्थात:—

- 1. का.आ. 254, तारीख 4 फरवरी, 1989;
- 2. का.आ. 970, तारीख 6 मई, 1989;
- 3. का.आ. 2467, तारीख 7 अक्तूबर, 1989;
- 4. का.आ. 899, तारीख 14 अप्रैल, 1990;
- का.आ. 1454, तारीख 26 मई, 1990;
- 6. का.आ. 2329, तारीख 8 सितम्बर, 1990;
- 7. का.आ. 3269, तारीख 8 दिसम्बर, 1990;
- 8. का.आ. 3270, तारीख 8 दिसम्बर, 1990;
- 9. का.आ. 3273, तारीख 8 दिसम्बर, 1990;
- 10. का.आ. 409, तारीख 9 फरवरी, 1991:
- 11. का.आ. 464, तारीख 16 फरवरी, 1991;
- 12. का.आ. 2287, तारीख 7 सितम्बर, 1991;
- 13. का.आ. 2740, तारीख 2 नवम्बर, 1991;
- 14. सा.का.नि. 677, तारीख 7 दिसम्बर, 1991;
- 15. सा.का.नि. 39, तारीख 1 फरवरी, 1992:
- 16. सा.का.नि. 55, तारीख 15 फरवरी, 1992;
- 17. सा.का.नि. 570, तारीख 19 दिसम्बर, 1992:
- 18. का.आ. 258, तारीख 13 फरवरी, 1993;
- 19. का.आ. 1673, तारीख 7 अगस्त, 1993:
- 20. सा.का.नि. 449, तारीख 11 सितम्बर, 1993;
- 21. का.आ. 1984, तारीख 25 सितम्बर, 1993:
- 22. सा.का.नि. 389(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1994;
- 23. का.आ. 1775, तारीख 19 जुलाई, 1997:
- 24. का.आ. 259, तारीख 30 जनवरी, 1999;
- 25. का.आ. 904, तारीख 30 सितम्बर, 2000;
- 26. का.आ. 717(अ), तारीख 27 जुलाई, 2001:
- 27. सा.का.नि. 75(अ), तारीख 1 फरवरी, 2001;

- 28. का.आ. 4000, तारीख 28 दिसम्बर, 2002;
- 29. का.आ. 860(अ), तारीख 28 जुलाई, 2003;
- 30. का.आ. 1483(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2003:
- 31. का.आ. 1487(अ), तारीख 14 अक्तूबर, 2005;
- 32. सा.का.नि. 723(अ), तारीख 23 नवम्बर, 2006;
- 33. का.आ. 1821(अ), तारीख 25 अक्तूबर, 2007;
- 34. सा.का.नि. 258(अ), तारीख 31 मार्च, 2008;
- 35. का.आ. 1028(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2008;
- 36. का.आ. 829(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2010;
- 37. सा.का.नि. 176, तारीख 11 जून, 2011;
- 38. सा.का.नि. 928(अ), तारीख 26 दिसम्बर, 2012;
- 39. सा.का.नि. 938(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2012:
- 40. सा.का.नि. 103(अ), तारीख 21 फरवरी, 2014:
- 41. सा.का.नि. 138(अ), तारीख 3 मार्च, 2014;
- 42. सा.का.नि. 233(अ), तारीख 28 मार्च, 2014;
- 43. सा.का.नि. 628(अ), तारीख 1 सितम्बर. 2014:
- 44. सा.का.नि. 232(अ), तारीख 30 मार्च, 2015;
- 45. सा.का.नि. 962(अ), तारीख 30 सितम्बर, 2016 और
- 46. सा.का.नि. 12(अ), तारीख 4 जनवरी, 2016।

#### MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

#### (Department of Pension and Pensioners' Welfare)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th September, 2019

- G.S.R. 673(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, namely:-
- 1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Central Civil Services (Pension) Second Amendment Rules, 2019.
  - (2) They shall come into force from 1<sup>st</sup> day of October, 2019
- 2. In the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972,-
  - (i) in rule 54,
    - (a) in sub-rule (3),
      - (A) in clause (a), in sub-clause (i), the words "after having rendered not less than seven years' continuous service" shall be omitted;
      - (B) in clause (b), in sub-clause (i), the words "after having rendered not less than seven years' continuous service" shall be omitted;

- (b) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely: -
  - "(3A) Where of a Government servant who died within ten years before the 1<sup>st</sup> day of October, 2019, without completing, continuous service of seven years, his family shall be eligible for family pension at enhanced rates in accordance with sub-rule (3) with effect from the 1<sup>st</sup> day of October, 2019, subject to fulfilment of other conditions for grant of family pension.";
- (ii) in rule 79, for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:-
  - "(a) For the purpose of Family Pension, 1964, if the family of the deceased Government servant has become eligible for family pension in accordance with sub-rule (2) of rule 54, the amount of family pension and the period for which it is payable shall be determined in accordance with sub-rule (3) of rule 54 within one month from the date of receipt of intimation of the date of death of the Government servant.
  - (b) For the purpose of death gratuity,-
    - (i) If the entire service rendered by the deceased Government servant is not capable of being verified and accepted, the amount of death gratuity shall be provisionally determined in accordance with clause (b) of sub-rule (1) of rule 50 on the basis of the length of qualifying service which is verified and accepted immediately preceding the date of death of the Government servant and the amount of death gratuity, so determined shall be authorised to the beneficiaries on provisional basis within one month from the date of receipt of intimation of date of death of the Government servant.
    - (ii) The final amount of the death gratuity shall be determined by the Head of Office on the acceptance and verification of the entire spell of service by him within a period of six months from the date on which the authority for the payment of provisional death gratuity was issued and the balance, if any, becoming payable as a result of determination of the final amount of death gratuity shall then be authorised to the beneficiaries.":
- (iii) for Form 18, the following Form shall be substituted, namely:-

#### "Form 18

[See rules 78(1), 80(1), 80(3), 80 (5), 80-B (1) and 80-B (5)]

# Assessment and authorisation of payment of family pension and death gratuity when a Government servant dies while in service

#### Part-I

#### Section I

### 1. Details of deceased:

					_					 		
(a) Name		1										
						100				 		
(b) Mother's /Father	's name					(c) Date of						
						birth						1
						ontil	i i		1	1		
(d) Date of				T	(e)	Religion						_
	1 1	1	1 1		(0)	Kengion						
death	1 1	1	1 1		1							
2. Post held at the t	ime of de	eath:								34		
(a) Name of the office	:e											
(-)												
(b) Post held substan	tively					(c) Officiating	0					
(0) - 001 11010 0 0 00101		1					١ -					
		1				post						
(d) I aval of any in the		. Audie				(-) D				 		
(d) Level of pay in the	ie pay ma	IIIIX				(e) Basic pay						
(f) In case the last po	st was he	ld outside	the Gove	rnment on	foreig	n service terms				 	-	
(1) In case the last pe		io cataloc	ine dove	innone on	· · · · · · · ·	511 SOI FIEC (CITIES						
(i) Level of pay of th	e post he	ld in the p	arent den	artment			(ii) Ra	sic pay	$\neg \tau$			
(., 51 pa) of th	e post no	p	a.c dep		1		(11) De	isic pay				

(i) Total period of military service, if any, for wh	ich pancion c	-d/o			_		
sanctioned	ench pension ar						
(j) Amount of any pension/gratuity received for the military service	pensio	k) Nature of any sension/gratuity received or the military service					
3. Date of beginning of service		4. Date service	e of endin	g of			
5. Service in autonomous body/State Governm	ent, if any						
particulars of service:	, <u>-</u>						
(a) Name of organisation	(b) Post	t		(c) F	eriod	of servi	ice
	held		From	Γ	'o		Total period
(d) Whether the above service is to be counted for	r gratuity in th	ne Gove	rnment			T Y	es C No
(e) Whether the autonomous organisation has disc Government	charged its per	nsionar	y liability t	o the Cer	ntral	☐ Ye	es 🌅 No
(f) Amount of any pension/gratuity received for the previous civil service, if any			ure of any d for the p				
6. Service qualifying for death gratuity:							
(a) Details of omission, imperfection or deficienci	ies in the servi	ice bool	which ha	ve been i	gnore	d [unde	r rule 59 (1)(b)(ii)]
(b) Periods of non-qualifying service:			From		To		No. of Days
Interruption in service condoned under rules 27 ar	nd 28						,
Extraordinary leave not qualifying for gratuity							
Period of suspension treated as non-qualifying							
Boy service (2nd proviso to Rule 13)							
Periods of foreign service with United Nations boo United Nations pension has been availed (rule 31)		1					
Any other service not treated as qualifying service	2						
Total	period of non	n-qualif	ying servic	e			
(c) Additions to qualifying service:			From		То		Number of days
Civil service (rule18)							
Military service (rule 19)							
Benefit of service in an autonomous body	vi vi		*				
Total period of qu	alifying servi	ce					
(d) Net qualifying service							
(e) Qualifying service expressed in terms of complete as completed six monthly period (rule 49)	leted six mont	thly peri	iods (Peric	d of thre	e mon	ths & al	bove is to be
7. Emoluments reckoned for death gratuity		8. Ame gratui	ount of de ty	ath			

[ भाग	II—खण्ड 3(i)]		भारत	का राजपत्र : असाध	ारण			11
9. Deta	nils of Government	dues recoverable out	of d	leath gratuity:				
		ion of Government ac			e 80-C]			
(b) Am (v)].	ount to be withheld	as indicated by the Di	recto	orate of Estates [S	ee rule 80-C (i)			
(c) Due	es referred to in rule	80-C (2)						
(d) Net	amount payable as	death gratuity			1771 - 170 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 1			
,		(s) to whom death gr						
S.No.	(a) Name	(b) Date of birth (DD/MM/YYYY)	, ,	Share in death tuity	(d) Relationsh deceased Gov	•	(e) Ad	dress
1.								
2.								
3.								
11. Det childre	ails of guardian/no n	minee who will recei	ve pa	nyment of death	gratuity in the	case of mi	nor/mentally	disabled
S.N.	(a) Name of minor/mentally disabled child	(b) Name of guardian		(c) Relationship Govt. s		(d)	Address of gua	ardian
1.								
2.								
3.					-			
12. Deta	ails of payment of f	amily pension						
	Rate o	f family pension		Α	mount of	Period fo	or which it is p	ayable
	pension From To Total period							
(a) Enha	anced rate [rule 54(3	)]				7		
(b) Ordi	nary rate [rule 54(2)	]						-
	(c) Additional family pension, as on date, to old family pensioner, if any, under rule 54(2A)							

## 13. Persons to whom family pension is payable

(a) Name	(b) Relationship with the deceased Government servant
(c) Postal address	
Flat/House Number/Building Name	Street/Locality
Village and Post Office/Block	City and District
State	Pin Code
Telephone No./Mobile	Email-Id

14. Details of guardian who will receive payment of family pension in the case of minor/ mentally disabled children										
S.No.	(a) Name of	(b) Name of guardi		onship with						
	minor/mentally disabled child	(b) Name of guardi		Govt. servant	(d) Address of guardian					
1.										
2.	y 10.									
3.										
Head of Account to which death gratuity and family pension are debitable.										
y y r										
Place:										
Date: (Signature of Head of Office)										
(organization read of Office)										
7										
Section II  Details of provisional family pension and gratuity to be drawn and disbursed by the  Head of Office in accordance with rule 80A										
Provisional family pension					pm					
					piii					
Death gratuity [amount mentioned in item 9 (d) of Section I]			)							
	,			antinegati ku ilianin populi et esperi ettera ette. Augenti						
Place:										
Date		)		(0)						
Date:		J		(Sig	gnature of Head of Office)					
PART II										
Account Enfacement										
Section I										
Total po	eriod of qualifying service acc									
	eriod of continuous service ac	cepted for								
Esta Sec Princil			provide States		poor					

Net amount of death gratuity after adjusting		g g						
Government dues	~							
Amount of family pension (whichever is applicable)								
Family Pension under Central Civil Service	Rules, 1972	es, 1972 Amount of family pension						
At enhanced rate [rule 54 (3)]			<u> </u>					
At ordinary rate [rule 54 (2)]								
Additional family pension, as on date, to old family pensioner, if any, under rule 54(2-A)								
Date from which family pension is admissible								
Head of account to which death gratuity and family per are debitable								
Section II								
Details of deceased Government servant								
Name	Date of death							
Amount of family pension authorised		Amount of gratuity authorised						
Date of commencement of family pension		Amount recoverable gratuity	from					
Amount of gratuity withheld pending receipt of 'No De Certificate'								
Place:			, , , ,					
Date:	(Signature of Account Officer).".							

[F. No. 1/23/2018-P&PW(E)]

SANJIV NARAIN MATHUR, Jt. Secy.

## **Explanatory Memorandum**

Sub-rule (3A) of rule 54, *inter alia*, provide for payment of family pension to the family of a Government servant who died within ten years before the 1<sup>st</sup> day of October, 2019 without completing continuous service of seven years. It is certified that none will be adversely affected by giving retrospective effect to the amendment.

**Note**: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 934, dated the 1<sup>st</sup> April, 1972. The fourth edition of the rules corrected up to July, 1988 was published in the year of 1988. The said rules were subsequently amended *vide* the following notifications, namely:-

- 1. S.O.254, dated the 4<sup>th</sup> February, 1989;
- 2. S.O.970, dated the 6<sup>th</sup> May, 1989;
- 3. S.O.2467, dated the 7<sup>th</sup> October, 1989;
- S.O.899, dated the 14<sup>th</sup> April, 1990;
- 5. S.O.1454, dated the 26<sup>th</sup> May, 1990;
- S.O.2329, dated the 8<sup>th</sup> September, 1990;
- 7. S.O.3269, dated the 8<sup>th</sup> December, 1990;
- 8. S.O.3270, dated the 8<sup>th</sup> December, 1990;

- 9. S.O.3273, dated the 8<sup>th</sup> December, 1990;
- 10. S.O.409, dated the 9<sup>th</sup> February, 1991;
- 11. S.O.464, dated the 16th February, 1991;
- 12. S.O.2287, dated the 7th September, 1991;
- 13. S.O.2740, dated the 2<sup>nd</sup> November, 1991:
- 14. G.S.R.677, dated the 7<sup>th</sup> December, 1991:
- 15. G.S.R.39, dated the 1<sup>st</sup> February, 1992;
- 16. G.S.R.55, dated the 15th February, 1992;
- 17. G.S.R.570, dated the 19th December, 1992;
- 18. S.O.258, dated the 13th February, 1993;
- 19. S.O.1673, dated the 7th August, 1993;
- 20. G.S.R.449, dated the 11th September, 1993;
- 21. S.O.1984, dated the 25<sup>th</sup> September, 1993;
- 22. G.S.R.389(E), dated the 18<sup>th</sup> April, 1994;
- 23. S.O.1775, dated the 19th July, 1997;
- 24. S.O.259, dated the 30th January, 1999;
- 25. S.O.904 (E), dated the 30th September, 2000;
- 26. S.O.717 (E), dated the 27th July, 2001;
- 27. G.S.R.75 (E), dated the 1st February, 2002;
- 28. S.O.4000 dated the 28th December, 2002;
- 29. S.O.860 (E), dated the 28th July, 2003;
- 30. S.O.1483 (E), dated the 30th December, 2003;
- 31. S.O.1487 (E), dated the 14th October, 2005;
- 32. G.S.R.723(E), dated the 23<sup>rd</sup> November, 2006;
- 33. S.O.1821 (E), dated the 25th October, 2007;
- 34. G.S.R.258 (E), dated the 31st March, 2008;
- 35. S.O.1028 (E), dated the 25th April, 2008;
- 36. S.O.829 (E), dated the 12th April, 2010;
- 37. G.S.R.176, dated the 11th June, 2011;
- 38. G.S.R.928 (E), dated the 26<sup>th</sup> December, 2012;
- 39. G.S.R.938 (E), dated the 27th December, 2012;
- 40. G.S.R.103 (E), dated the 21st February, 2014;
- 41. G.S.R.138 (E), dated the 3<sup>rd</sup> March, 2014;
- 42. G.S.R.233 (E), dated the 28th March, 2014;
- 43. G.S.R.628 (E), dated the 1st September, 2014;
- 44. G.S.R.232 (E), dated the 30th March, 2015;
- 45. G.S.R.962 (E), dated the 30th September, 2016; and
- 46. G.S.R.12 (E), dated the 4th January, 2019.